दैनिक जागरण अखबार में छपी खबरों में इस्तेमाल किये जा रहे अंग्रेजी के शब्दों का विश्लेषण

भारत में पत्रकारिता की शुरुआत में साहित्यकारों ने अग्रणी भूमिका निभायी थी\ उन लोगो ने पत्रकारिता के उच्च मापदंड स्थापित किये थे \ आज के समय में जब हिंदी पत्रकारिता की बात आती है तो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर , नवभारत टाइम्स कुछ ऐसे अखबार है जिनसे हिंदी सिखने को मिलती है \ इन अखबारों में छप रहे खबरों में अंग्रेजी के प्रवेश पर बचपन एक्सप्रेस एक दैनिक स्तम्भ चला कर इसको समझने का प्रयास कर रहा है और साथ ही साथ इस बात की तलाश भी की जायेगी की इन अंग्रेजी शब्दों को किन हिंदी के शब्दों से बदला जा सकता है \ हमे आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले समय में ये स्तम्भ हिंदी सीखने वाले लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा \

दिनांक १७ /१० /२०२०

श्रीकृष्ण जन्मस्थान का मुकदमा शुरू

जिला अदालत में अपील स्वीकार वादी श्रीकृष्ण विराजमान प्रतिवादियों को नोटिस

जागरण संवाददाता, मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में दायर अपील शुक्रवार को जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी समेत सभी चार प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व लखनऊ की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया था। इसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को रद कर मस्जिद हटाने और जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देने की मांग की गई थी। 30 सितंबर को वाद ये कहकर अदालत ने खारिज कर दिया था कि मात्र भक्त होने के आधार पर प्रार्थीगण को वाद दायर करने की अनुमति देना न्यायोचित नहीं है। इस पर 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई। इस मामले में शुक्रवार को दोपहर बाद अदालत में सुनवाई हुई। वादी के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि उन्होंने अदालत में ये पक्ष रखा कि श्रीराम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि भगवान और भक्त दोनों वाद दायर कर सकते हैं। इसलिए हमारा वाद खारिज करना गलत है। करीब एक घंटे की बहस के बाद अदालत ने अपील स्वीकार कर ली। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शिवराम सिंह ने बताया कि अदालत ने अपील स्वीकार करने के बाद चारों प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है, अगली सुनवाई में प्रतिवादी अपना पक्ष रखेंगे।

प्रतिवादी चेयरमैन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, सचिव शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और सचिव श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को नोटिस जारी किया है।

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के बराबर बनी शाही मस्जिद ईदगाह (फाइल फोटो) ● जागरण

- कोर्ट में करीब एक घंटे चली मामले की सुनवाई
- अगली सुनवाई 18 नवंबर को, अब प्रतिवादी रखेंगे अपना पक्ष

हमने मजबूत आधार बनाकर अदालत में अपील दायर की थी। हमें पूर्ण विश्वास था कि यह स्वीकार होगी। हमें यह भी विश्वास है कि इस मामले में जीत मिलेगी।

रंजना अग्निहोत्री, अधिवक्ता

ये हैं वादी

जिला जज की अदालत में दायर की गई अपील में खुद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, अस्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि, लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, दिल्ली निवासी प्रवेश कुमार, सिद्धार्थनगर निवासी राजेश मणि त्रिपाठी, बस्ती निवासी करुणेश कुमार शुक्ला, लखनऊ निवासी शिवाजी सिंह व त्रिपुरारी तिवारी वादी हैं।

अंग्रेजी के शब्द	**वो हिंदी शब्द जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है**
अपील	निवेदन , पुनर्वाद
नोटिस	समन , सूचना
जज	न्यायाधीश
कमेटी	समिति , कार्यवर्ग
सिविल	दीवानी
सीनियर	वरिष्ठ
डिवीज़न	खंड , विभाग
ट्रस्ट	न्यास
सुप्रीमकोर्ट	उच्चतम न्यायालय
चेयरमैन	अध्यक्ष
सेंट्रल	केन्द्रीय
बोर्ड	समिति , मंडल
मैनेजिंग	प्रबंधक , प्रबंधन ,

लोकुर रखेंगे पराली जलने पर नजर

नई दिल्ली, एजेंसियां: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर देश की सबसे बड़ी अदालत एक्शन में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के कदम उठाने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर की एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है। नेशनल कैडट कोर्प्स (एनसीसी), नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस) और भारत स्काउट्स इस काम में समिति की मदद करेंगे।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने 12वीं के छात्र आदित्य दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) और हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पराली वाले खेतों की निगरानी में लोकुर समिति की सहायता करेंगे।

- बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देजनर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई नई व्यवस्था
- एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट्स करेंगे समिति की मदद

हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि दिल्ली-एनसीआर के लोग बिना प्रदूषण के साफ हवा में सांस ले सकें। -सुप्रीम कोर्ट

इसके अलावा संबंधित राज्य लोकुर समिति को पर्याप्त सुरक्षा, सचिवालय और परिवहन उपलब्ध कराएंगे। समिति प्रत्येक 15 दिन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि पंजाब में पराली जलाने से रोकने के लिए जो टीम पहले से काम कर रही है, वह लोकुर समिति से निर्देश प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा ईपीसीए समेत इस मामले से जुड़े अधिकारी लोकुर समिति को रिपोर्ट करेंगे। पीठ इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को करेगी।

पंजाब कब तक सहेगा प्रदूषण का दंश
उत्तर भारत को गैस चैंबर बनाने की तोह

दैनिक जागरण में पराली जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर प्रकाशित खबरें

15 साल पहले 'दैनिक जागरण' ने सबसे पहले किया था आगाह

दैनिक जागरण 15 साल पहले इस मुद्दे को उठाने वाला पहला अखबार था, लेकिन तब राज्य सरकारों और प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार निकायों व संबंधित अफसरों ने अनदेखी की और मानने से इन्कार कर दिया कि प्रदूषण का बड़ा कारण पराली जलने से होने वाला धुआं भी है। इसी अनदेखी का नतीजा है कि यह समस्या आज विकट रूप ले चुकी है।

अंग्रेजी के शब्द	वो हिंदी शब्द जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है
एक्सन	हरकत
नेशनल कैडेट कोर्प्स	राष्ट्रीय **कैडेट कोर**
नेशनल सर्विस स्कीम	राष्ट्रीय सेवा योजना
जस्टिस	न्यायमूर्ति
रिपोर्ट	प्रतिवेदन , विवरण
सुप्रीमकोर्ट	उच्चतम न्यायालय